



कार्यालय प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय आमदी, जिला-धमतरी (छ.ग.)

E-mail – govtnaveencollegeamdi@gmail.com

AISHE CODE- C-62906



क्रमांक / 208 / अ.व्या. / 2025

आमदी, दिनांक 29 / 07 / 2025

// अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक हेतु विस्तृत विज्ञापन //

कार्यालय आयुक्त, उ.शि. संचालनालय रायपुर का पत्र क्रमांक / 289 / 01 / आउशि / राज.स्था. / 2025 / नवा रायपुर, दिनांक 23.07.2025 के आदेशानुसार तथा “अतिथि व्याख्याता नीति-2024” के परिपालन में महाविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए निम्नलिखित विषय में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक **05.08.2025 को सायं 05:00 बजे** तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। ई-मेल से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता-

01. अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमिलेयर) एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
03. आयु सीमा अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।
04. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय / पदों का विवरण :-

क्रमांक	विषय	रिक्त पद एवं संख्या
		सहायक प्राध्यापक
1	गणित	01
2	अंग्रेजी	01
3	प्राणीशास्त्र	01

टीप:- संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति / नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्त :-

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम. फिल./ पी-एच.डी., शोध प्रकाशन एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
02. दिनांक 05.08.2025 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
03. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 10.08.2025 को अग्रणी महाविद्यालय-बी.सी.एस. शास. स्नात. महा. धमतरी (छ.ग.) की वेबसाइट www.bcspgcdmt.com व सूचना पटल पर प्रकाशित किया जावेगा।
05. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 13.08.2025 तक होगी।
06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 14.08.2025 को किया जावेगा जिसका अवलोकन अग्रणी महाविद्यालय-बी.सी.एस. शास. स्नात. महा. धमतरी (छ.ग.) की वेबसाइट www.bcspgcdmt.com अथवा महाविद्यालय की सूचना पटल में किया जायेगा।
07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/ कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई हैं।
08. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
10. अतिथि व्यवस्था के अन्तर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा:-

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) 40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400 / -	300 / -
2	चार कालखंडों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600 / - प्रतिदिन (41,600 / - प्रतिमाह अधिकतम)	1200 / - प्रतिदिन (30,000 / - प्रतिमाह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500 / -	350 / -
4	चार कालखंडों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000 / - प्रतिदिन (50,000 / - प्रतिमाह अधिकतम)	1400 / - प्रतिदिन (35,000 / - प्रतिमाह अधिकतम)
(स) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
5	विवरण	अतिथि ग्रंथपाल / क्रीड़ाधिकारी	अतिथि ग्रंथपाल / सहायक / अतिथि क्रीड़ा सहायक
	दैनिक मानदेय (प्रति दिवस न्यूनतम 07 घंटा कार्य अवधि)	1600 / - प्रतिदिन (40,000 / - प्रतिमाह अधिकतम)	1200 / - प्रतिदिन (30,000 / - प्रतिमाह अधिकतम)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता, प्राचार्य शासकीय नवीन महाविद्यालय, आमदी, जिला-धमतरी (छ.ग.) एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखें।
12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं कहलायेंगे।
13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।



(डॉ. गौकरण प्रसाद जायसवाल)

प्रभारी प्राचार्य

शासकीय नवीन महाविद्यालय आमदी

जिला-धमतरी (छ.ग.)